

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00056)

निर्णय दिनांक:- 20-01-2020

1. रामरतन पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 4 एलकेडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. बलजीत कौर पत्नि जलौवर सिंह जाति जट सिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगागनर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 03-04-2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़



उपस्थिति:-

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 03-04-2017 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 4 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 225/2 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 05-04-1989 को आवंटित की गई थी। वादगत् भूमि पर अपीलांट का आवंटन पश्चात् से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को

नजरअंदाज करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराघात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।



अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखते हुए अपीलांट के आवंटन के राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये जावे।

20/11/2017
राजस्थान अपील आयोग
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 3 एमडीडब्ल्यूएम के मुर्ब्बा नम्बर 185/25 के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि

अन्य को आवंटित होने पर अदालत मातहत द्वारा नियम 13 ए (5) (परन्तुक) के अन्तर्गत अन्य रकबा चक 4 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 225/1 के किला नम्बर 20 ता 25 में तादादी 06 बीघा व मुरब्बा नम्बर 225/2 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 31 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप अन्य आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोजेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ-साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03-04-2017 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 27-02-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन, अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्थान हाइकोर्ट अपील
बीकानेर

(2) हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 4 एलकेडी मुरब्बा नम्बर 225/1 के किला नम्बर 20 ता 25 तादादी 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 225/2 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा इस प्रकार कुल 31 बीघा अनकमाण्ड का विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 4 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 225/2 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि वर्ष 1989 से आवंटित भूमि है। जिस पर 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त दिनांक 05-04-1989 को आवंटित पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी करते हुए वादगत् भूमि पर अपीलांट को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काशत चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होने से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

(4) इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादगत् भूमि चक 4 एलकेडी मुरब्बा नम्बर 225/1 के किला नम्बर 20 ता 25 तादादी 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 225/2 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा इस प्रकार कुल 31 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रथम वरियता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 13 ए (5) (परन्तुक) के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किया गया है।

(5) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को वर्ष 1989 में सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गई थी। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्थिति सामने आती है कि वादगत् भूमि अपीलांट को अनकमाण्ड के रूप में आवंटित की गई थी तथा अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी थी।

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही अपीलांट जिसके धारण में भूमि निहित होने पर भी, अपीलांट को ना तो कोई

नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था जैसा की प्रकरण में संबंधित राजस्व अमले द्वारा नहीं किया गया है। जिसके कारण वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीरार्ज दर्ज रही तथा वादगत् भूमि का आवंटन आराजीराज दर्ज होने के कारण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को वादगत् भूमि शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होकर अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये ऐसी भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है जोकि शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी।

(8) चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि रही है तथा अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। लिहाजा अपीलांट का पूर्ववर्ती आवंटन बहाल रखा जाना उचित पाते है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होने से खारिज किया जाता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03-04-2017 उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अंकन करावें ताकि इस तरह की पुनरावर्ति दुबारा न हो।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20-01-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।




(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

